न्यायालय ....तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर 235/2018

प्रार्थी ....

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का उण्डखली

विप्रार्थी इब्राहीम

~~बनाम~~ ....

पुत्र श्री शेरो खां

जाति मुस.... निवासी सिरली कीतपाल

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09/4/18

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है कि हल्का पटवारी उण्डखली........ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया है कि विप्रार्थी ने इस वर्ष संवत 2074 में ग्राम सिरली/कीत० के खसरा नम्बर 92 .रकबा 0.0–01.......बीघा किस्म गै.मु.ओरण.पर अनाधिकृत कब्जा करके [illegible].......में अतिक्रमण किया है । जिस पर राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । पेशी तिथि कर विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित।

पेशी तारिख पर न्यायालय के बाहर तीन बार आवाज लगवाने तथा नोटिस तामिल होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर तथा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का सबूत पेश नही करने पर विप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया जाता है

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है । जिस पर विप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है । ऐसी अवस्था में विप्रार्थी को राजस्थान भू – अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिकमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी भूमि से बेदखली के आदेश किये है । विप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू – राजस्व लगान [illegible] 1रू०...का 50 गुणा अर्थात 50/–.....(अक्षरे रूपये पचास............ रूपये............) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है । जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे ।

हल्का पटवारी विप्रार्थी को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर जुर्माना राशि की वसूली कर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे । तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें । सम्बन्धित भू – अभिलेख निरीक्षक उक्त भूमि में यदि फसल । सामग्री उपलब्ध होने की स्थिति में उसे कुर्क कर निलामी की कार्यवाही करते हुए फर्द निलामी व निलामी राशि जमा करावें । निर्णय की कियान्विति में मांग कायमी तराले तहसील हाजा के रजिस्टर में दर्ज करवाही जाकर न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करें । निर्णय आज दिनांक 09/4/18.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो, निर्णित पत्रावली दफ्तर दाखिल से ।

तहसीलदार सिणधरी

Scanned by CamScanner